कार्यालय वरिष्ठ कोषालय अधिकारी जिला जांजगीर–चांपा (छ0ग0)
कलेक्टोरेट परिसर, जांजगीर

फोन नं. 07817–222969 फैक्स नं. 07817–222730 Email – dt.janjgir.cg@nic.in

क्रमांक / कोष. / स्था. / 2023 / 185 जांजगीर, दिनांक 31 / 01 / 2023

प्रति,

समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी
जिला–जांजगीर–चांपा / सक्ती (छ.ग.)

विषय :– पुरानी पेंशन योजना लागू होने के परिणाम स्वरूप शासकीय सेवकों एवं कार्यालय प्रमुख द्वारा आवश्यक कार्यवाही किए जाने के संबंध में।

संदर्भ :– छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्रमांक 48 / ए / 2016–04–03289 / वित्त / नियम / चार, दिनांक 25.01.2023 (वित्त निर्देश 03 / 2023)

---0---

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में लेख है कि दिनांक 01.11.2004 से 31.03.2022 के मध्य नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने अथवा एन.पी.एस. में यथावत् बने रहने के विकल्प का प्रावधान किया गया है। उक्त प्रावधान के क्रियान्वयन हेतु शासकीय सेवकों के द्वारा इस निर्देश के जारी होने के दिनांक से एक माह के भीतर निर्धारित प्रपत्र में विकल्प भरकर कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करने तथा कार्यालय प्रमुख द्वारा उक्त विकल्प एवं सहमति पत्र की प्रविष्टि शासकीय सेवक की सेवा–पुस्तिका में की जाकर, मूल सेवा–पुस्तिका में चस्पा कर एक–एक सत्यापति प्रति कर्मचारी के व्यक्तिगत नस्ती एवं कार्यालय प्रमुख के अभिरक्षा में संधारित करने और कार्मिक संपदा में आहरण एवं संवितरण अधिकारी के लॉगिन से अपलोड करने का निर्देश है।

अतः समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को उक्त निर्देशानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित है।

संदर्भ :– संदर्भित पत्र।

31.1.23

वरिष्ठ कोषालय अधिकारी
जिला कोषालय जांजगीर–चांपा

पृ.क्रमांक / कोष. / स्था. / 2023 / जांजगीर, दिनांक / 01 / 2023

प्रतिलिपि :–

1. संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, जांजगीर–चांपा / सक्ती (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, बिलासपुर को सादर सूचनार्थ।

वरिष्ठ कोषालय अधिकारी
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

प्रपत्र – एक

नवीन पेंशन योजना (NPS) में बने रहने हेतु

शपथ–पत्र

मैं...

पदनाम...

कार्यालय / विभाग का नाम ....

वित्त विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 2016–04–03289 / वि / नि / चार, दिनांक 20.01.2023 के परिप्रेक्ष्य में स्वेच्छा से नवीन अंशदायी पेंशन योजना (NPS) में बने रहने का विकल्प चयन करता / करती हूँ।

मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अंतिम एवं अपरिवर्तनीय होगा ।

कर्मचारी का हस्ताक्षर

दिनांकः–.....................................

मोबाइल नं.: ....

कर्मचारी कोडः...

PRAN NO: ....

प्रपत्र – दो

पुरानी पेंशन योजना को स्वीकार करने हेतु

शपथ–पत्र

मैं...

पदनाम ....

कार्यालय का नाम ....

विभाग का नाम ....

वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना कमांक एफ 2016–04–03289/वि/नि/चार, दिनांक 20.01.2023 के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार के निर्णयानुसार इस शपथ–पत्र के माध्यम से निम्नांकित शर्तों पर अपनी स्वेच्छा से पूर्ण सहमति देते हुए अपने लिए पुरानी पेंशन योजना को स्वीकार करता/करती हूँः–

1. मैं पुरानी पेंशन योजना से शासित होना चाहता/चाहती हूँ तथा इस आशय का शपथ–पत्र देता/देती हूँ कि मुझे इसके कियान्वयन के संबंध में शासन द्वारा जारी दिशा–निर्देश मान्य हैं एवं मेरे द्वारा किसी प्रकार का अतिरिक्त वित्तीय दावा राज्य सरकार से नहीं किया जायेगा ।
2. एन.पी.एस. खाते में जमा शासकीय अंशदान एवं उस पर अर्जित लाभांश की राशि राज्य सरकार को प्राप्त नहीं होने के कारण मेरी सेवानिवृत्ति के उपरान्त शासकीय अंशदान एवं उस पर अर्जित लाभांश की राशि मेरे द्वारा शासकीय कोष में जमा करने के उपरान्त ही मुझे पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन देय होगा। मेरे द्वारा शासकीय अंशदान एवं उस पर अर्जित लाभांश की राशि एन.पी.एस. से प्राप्त राशि में से जमा की जाएगी तथा शासन को देय राशि में कमी की प्रतिपूर्ति मुझे मिलने वाले मृत्यु–सह–सेवानिवृत्ति उपादान/अवकाश नगदीकरण/समूह बीमा योजना अंतर्गत प्राप्त होने वाली राशि से भी किया जा सकेगा।
3. एन.पी.एस.खाते में जमा मेरे अंशदान की राशि किसी भी स्थिति में प्राप्त न होने की स्थिति में मेरे द्वारा राज्य सरकर से इसका दावा नहीं किया जायेगा।

4. नवीन अंशदायी पेंशन योजना (एन.पी.एस.) के अन्तर्गत मेरे वेतन से की जा रही 10 प्रतिशत अंशदान की कटौती माह अप्रैल 2022 से समाप्त हो जायेगी तथा सामान्य भविष्य निधि के प्रावधानों के अनुसार मुझे प्राप्त होने वाले मूल वेतन (परिलब्धियों) से छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि (CGPF) की कटौती कर छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी।

5. वित्त विभाग द्वारा योजना के अंतर्गत लेखा संधारण विनियमन एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश अलग से जारी किया जायेगा एवं पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के क्रम में किसी प्रकार की भ्रांति उत्पन्न होने पर वित्त विभाग द्वारा सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त कर आवश्यक दिशा–निर्देश/स्पष्टीकरण जारी किया जायेगा जो मुझे मान्य होगा ।

6. मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अंतिम एवं अपरिवर्तनीय होगा ।

कर्मचारी का हस्ताक्षर

दिनांकः–..................................

मोबाइल नं. : ....

कर्मचारी कोड..

PRAN NO..